

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/बजट/बी-5/9903/2015-16/

दिनांक- 3/2/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़।


विषय:- एस.बी. सिविल याचिका सं० 1131/06 धर्मवीर सिंह बनाम राज्य सरकार में दायर अवमानना याचिका सं० 829/12 धर्मवीर सिंह बनाम भाष्कर ए सावंत व अन्य ।

प्रसंग:- शासन का पत्रांक प.18(146)प्राशि/वि.प्र./12 दिनांक 2 फरवरी 2016.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी, प्रारंभिक शिक्षा (विधि-प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर के प्रासंगिक पत्र एवं वित्त विभाग की आई डी संख्या 151600116 दिनांक 2-2-2016 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति की पालना में निम्न राशि का आवंटन किया जा रहा है । इसका उपयोग नियमानुसार किया जावे । यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए है ।


लेखामद	आवंटित राशि
<p>मांग संख्या - 24</p> <p>2202- सामान्य शिक्षा</p> <p>01- प्रारंभिक शिक्षा</p> <p>197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता</p> <p>(01)-उ.प्रा.वि. (बालक)</p> <p>[01] स्थापना व्यय</p> <p>32-डिकी प्रभार</p> <p>(आयोजना भिन्न व्यय)</p>	<p>रु० 80273/-</p> <p>(अखरे रूपया अस्सी हजार दो सौ तिहेतर)</p>

शासन की स्वीकृति दिनांक 2-2-2016 में अंकित शर्तों की पालना में सुनिश्चित की जावे।


वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त विधि परामर्शी(प्राशि), प्रारंभिक शिक्षा (विधि-प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा कों प्रेषित कर लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. अनुभाग अधिकारी, अंक मिलान अनुभाग ।
6. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार